मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 721 / 857 / 2014 / 20–3 भोपाल, दिनांक 7 / 07 / 2014

प्रति,

1. श्री एस. के. पाल
आयुक्त,
लोक शिक्षण, भोपाल

2. कर्नल आर. एस. जून
अवर निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय एवं एन.सी.सी.,
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

3. श्री बिसोरिया,
राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड के अन्य प्रतिनिधि

4. श्री कुलदीप सिंह यादव,
उप संचालक,
लोक शिक्षण, भोपाल।

विषयः–दिनांक 02 / 06 / 14 को खेल स्काउट गाइड एवं एन.सी.सी. की गतिविधियों संबंधी बैठक का कार्यवाही विवरण।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत मंत्रालय के कक्ष क्रमांक 520 में मान. राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, श्री दीपक जोशी की अध्यक्षता में दिनांक 02 / 06 / 14 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आर. के. डेकाटे)
अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक / / 857 / 2014 / 20–3 भोपाल, दिनांक / 07 / 2014

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी / राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. उप सचिव (सी / डी / टी), मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

थापा

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पंजी क्र......../20-3/200..
दिनांक

क्रमांक / /स्कूल/ भोपाल, दिनांक 02.06.2014

कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 02–06–2014 को पूर्वान्ह 12.00 बजे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित खेल, स्काउट गाइड व एन.सी.सी. की गतिविधियों से संबंधित बैठक का आयोजन मंत्रालय कक्ष क्रमांक 520 में किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. श्री एस.के.पॉल, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल
2. कर्नल आर.एस.जून. अवर निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय एन.सी.सी. म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ भोपाल
3. श्री के.के. द्विवेदी उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
4. श्री कुलदीप सिंह यादव उप संचालक लोक शिक्षण भोपाल
5. श्री गुलाबराय सूर्यवंशी, उप संचालक संचालनालय एन.सी.सी. (राज्य कोष्ठ) म.प्र. भोपाल
6. श्री बिसोरिया राष्ट्रीय स्काउट एवं गाईड के अन्य प्रतिनिधि।

उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. **नोडल अधिकारी की नियुक्ति :–** एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट गाइड की गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन व समन्वय की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि संचालनालय स्तर के एक अधिकारी का चिन्हांकन आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा की जाए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो राज्य कार्यालयों, शासन, क्षेत्रीय स्तरीय व अधिकारियों एवं एन.सी.सी. एवं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड के बीच समन्वय रखे। श्री कुलदीप सिंह यादव उप संचालक, लोक शिक्षण को यह दायित्व सौंपे जाने पर सहमति हुई।

Latter (Piyush)

एन.सी.सी. संचालनालय से संबंधित मुद्दों को उपस्थित एन.सी.सी. कर्नल जून द्वारा निम्नानुसार रखा गया।

1. **प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में एन.सी.सी. के फंड बाबत**– वर्ष 2001 से राज्य सरकार ने प्राइवेट संस्थाओं में एन.सी.सी. गतिविधियों के लिए राशि देना बंद कर दिया है। विद्यमान नीति के अनुसार बजट प्रावधान में 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत क्रमशः केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी होती है जिसमें राज्य पहले राशि रिलीज करना होता है। केन्द्र शासन 75 प्रतिशत राशि प्राईवेट संस्थाओं हेतु देने को तैयार है। राज्य सरकार को 25 प्रतिशत राशि देने के लिए शीघ्र ही निर्णय लेने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में उन्हे यथोचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

2. **म.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड एवं तकनीकी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एन.सी.सी. को अतिरिक्त चयनित विषय रखने के बारे में** यू.जी.सी. एवं सी.बी.एस.ई. परिपालन हेतु सहमत हैं, बताया गया। इस विषय पर समुचित प्रस्ताव पर विचार हेतु सहमति दी गई।

3. **मुख्य मंत्री विजन 2014–2019 :–** मुख्यमंत्री जी द्वारा एन.सी.सी. आर.डी.सी. 2014 कांटीजैन्ट अभिनंदन समारोह 2 फरवरी 2014 को निम्न घोषणायें की गई थीं।

3.1 राज्य में वनरोपण मुहिम :– एन.सी.सी. द्वारा केंपों के दौरान वनरोपण कार्यक्रम किया जावे इस हेतु आवश्यक फंड राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने पर सहमति दी गई।

3.2 सामाजिक जागरूकता रैलियां :– एन.सी.सी. विभाग सामाजिक जागरूकता हेतु रैलियां आयोजित करें, इस हेतु एक मुहिम चलायी जावे। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध मं समस्त आवश्यक सहयोग दिया जावेगा। इन कार्यक्रमों को छुट्टियों की अवधि के साथ जोड़ें।

3.3 म.प्र. पर्यटन :– एन.सी.सी. कैडेट म.प्र. के बाहर भी कैम्पों में हिस्सा ले रहे हैं इनके द्वारा म.प्र.पर्यटन से संबंधित सामग्री अन्य राज्यों में वितरित कराई जा सकेगी जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिले।

3.4 एन.सी.सी. विद्यार्थियों को अतिरिक्त अंक बोनस के रूप में दिए जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। इस समबन्ध में प्रचलित कार्यवाही को तेज किया जावे।

Latter (Piyush)

4. स्काउट गाईड से संबंधित मुद्दे :–

4.1 **स्काउट–गाइड अभिदान शुल्क में वृद्वि की जायें** :– बैठक में चर्चा हुई कि वर्ष 1995 में शालाओं में छात्र–छात्राओं से लिये जाने वाले स्काउट–गाइड अभिदान शुल्क मे वृद्वि हुई थी, उसके पश्चात आज पर्यन्त तक अभिदान शुल्क मे वृद्वि नही की गई है। अतः प्रस्तावानुसार वृद्वि पर विचार किया जावे।

4.2 **भारत स्काउट एवं गाइड के वैतनिक अधिकारी/कर्मचारियों को छठवां वेतनमान देने की स्वीकृति :–** बैठक में चर्चा के दौरान यह अवगत कराया गया कि संस्था के अधिकारी/कर्मचारियों को छठवां वेतनमान देने की प्रशासकीय स्वीकृति शासन द्वारा नही दी गई है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव पर नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र की जावे।

4.3 **नये जिलों/संभाग के लिये नवीन पदों की स्वीकृति** :– म.प्र. में नये 12 जिले एवं 03 संभाग गठित किये गये है। उसके अनुरूप जिले में जिला संगठन आयुक्त, स्काउट–गाइड एवं संभाग के लिये सहायक राज्य संगठन आयुक्त, स्काउट–गाइड तथा राज्य स्तर पर राज्य प्रशिक्षण आयुक्त, स्काउट–गाइड के नवीन पद स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

4.4 **राज्य शिक्षा केन्द्र से कब–बुलबुल/स्काउट–गाइड गतिविधियों के लिये अनुदान के संबंध में :–** राज्य शिक्षा केन्द्र प्रतिवर्ष प्राथमिक विधायालों में कब–बुलबुल एवं माध्यमिक विधालयों में स्काउट–गाइड गतिविधियों के लिये अनुदान दे रहा है, जो पर्याप्त नही है। अतः प्रस्ताव के अनुसार एवं स्काउट–गाइड यूनिफार्म हेतु भी अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जाये।

4.5 **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से भी अनुदान देने के संबंध में** :– बैठक में चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल के शिक्षको को स्काउट–गाइड प्रशिक्षण हेतु अभी किसी प्रकार का अनुदान नही दे रहा है। अतः जिस प्रकार राज्य शिक्षा केन्द्र गतिविधि एवं शिक्षक प्रशिक्षण के लिये प्रतिवर्ष अनुदान देता है उसी प्रकार से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से राशि प्रदान की जा सकने की संभावना व्यक्त की गई।

4.6 **राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट–गाइड, रोवर–रेंजर को प्रोत्साहन देने के संबंध में**

म.प्र. शासन शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त स्काउट–गाइड को बोर्ड परीक्षाओं में 10 अंक बोनस अधिभार स्वरूप प्रदान किये जाते थें, जो बंद कर दिये है। इसे पुनः लागु किए जाने व सम्बन्ध में कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

4.7 **उच्च प्रशिक्षित स्काउट–गाइड शिक्षको को वेतनवृद्धि का लाभ देने के संबंध में**

बैठक में अवगत कराया गया कि शालाओं में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाऐं जो स्काउट–गाइड का उच्चतम प्रशिक्षण प्राप्त करते है और अपने अनुभव का लाभ शालाओ में स्काउट–गाइड गतिविधियों को संचालित करने में देते है। ऐसे चुनिन्दा शिक्षक/शिक्षिकाओं को 01 वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाने के विषय में आवश्यक प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

5. **खेल से संबंधित मुद्दे :–** आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित खिलाड़ियों का संभाग स्तर से ऑन लाईन प्रविष्टि की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों के चयन में खेल कल्याण के प्रतिनिधियों को चयन प्रकिया में सम्मलित करने के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए।

5.1 विद्यार्थियों का खेलों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाली शासकीय एवं अशासकीय शालाओं को पुरस्कृत करने की योजना पर सहमति व्यक्त करते हुए विभाग में कार्यरत शारीरिक शिक्षा संवर्ग एवं गैर शारीरिक शिक्षा संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु खेल रत्न जैसे अलंकरण, खेल दिवस पर देने पर विचार किया जावे निर्देश दिए गए।

5.2 शालाओं में उपलब्ध खेल मैदानों को खेलों के प्रचलन एवं लोकप्रियता के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में विकसित किया जावे जिसमें विभाग में उपलब्ध उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं अन्य तकनीकी सक्षम कर्मचारियों को सुविधायें उपलब्ध हो सकें। निर्देशित किया गया कि प्रत्येक संभाग में एक विद्यालय को खेल विद्यालय के रूप में चिन्हित किया जावे। अगस्त 2014 तक प्रत्येक संभाग से एक–एक विद्यालय को चिन्हित किया जावे। इस हेतु खेल व युवक कल्याण विभाग से आवश्यक समन्वय करें।

5.3 माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कम में इंदौर में महिला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई शासन स्तर पर प्रचलित है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जावे।

5.4 खेलों को विद्यालयीन गतिविधियों में महत्व देते हुए खेल से सम्बन्धित पदों में वृद्वि की जाने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

5.5 विभाग द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में जनप्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जावे साथ ही निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

माननीय मंत्री जी के प्रति आभार के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

4.6.14

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

Latter (Piyush)